न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 181 सन 2019

अनवान :–

1. बलराम पुत्र जीवनणराम जाति छिम्पा निवासी भगवान तहसील नोहर।

बनाम

1. जीवणराम पुत्र रामाराम जाति छिम्पा निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. गीतादेवी 3 ज्यानादेवी उर्फ सीतादेवी 4 मानादेवी 5 धापादेवी 6 सोनादेवी पुत्रया जीवणराम जाति छिम्पा निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. मैनेजर आईसीआईसीआई बैक शाखा नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

9. मुखराम 10 गाधीराम 11 कृष्ण कुमार 12 पप्पूराम 13 काशीराम पुत्रगण जीवणराम जाति छिम्पा निवासी भगवान तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 40/39 के कुल किता 7 की कुल 20.664 हैक में से 10.332हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 का हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , 9 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी पिता/ बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा

वाद वादी निम्न प्रकार से है :–

क्रमशः.....2

Web Copy - Not Official

चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की पिता/बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,9 ता 13 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 40/39 के कुल किता 7 की कुल 20.664हैक में से 10.332 हैक भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के बहिब 9.573हैक के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 0.759हैक के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलान 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद वादी निम्न प्रकार से है :–

क्रमशः.....2